राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 10(9)ग्रावि / नरेगा / स.कार्य.अधि. / 2010 जयपुर, दिनांक 21 FEB 2012

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद बांसवाड़ा।

विषय :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत पंचायत समिति स्तर पर सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पदों को संविदा के आधार पर अनुबन्धित करने बाबत।

प्रसंग :– आपका पत्रांक जिप / बांस / महानरेगा / एफ 01(07)स्था. / 2011–12 / 9992 दिनांक 13.01.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि पूर्व में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पंचायत समिति स्तर पर स्थगन के आधार पर कार्यरत कार्यक्रम अधिकारियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 31.01.11 को निर्णय दिया है कि सहायक कार्यक्रम अधिकारी की भर्ती के समय इनकी अभ्यर्थता पर भी विचार किया जावे, तब तक इन्हें नहीं हटाया जावे। इस संबंध में पूर्व में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.04.11 एवं 29.06.11 के द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है।

अतः इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय की पालना के अलावा नरेगा योजनान्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17.06.11 के अनुसार किसी भी संविदा कार्मिक को नहीं लगाया जावे।

भवदीय

17/2/12

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :–

1. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान।
2. समन्वयक अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम / द्वितीय एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान (बांसवाड़ा को छोड़कर) पालनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस